[14/3/2022]

~~प्रश्न~~ सं. [क्र. 638]

परिशिष्ट–1

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 638 की जानकारी

म0प्र0 शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग को केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं के तहत राशि प्रदान की जाती है :–

पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाएँ:–

(1) राज्य छात्रवृत्ति:–

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 6 से 10 तक निरन्तर विद्याध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु (दस माह के लिये) दी जाती है ।.

(2) पोस्ट –मैट्रिक छात्रवृत्ति:–

यह छात्रवृत्ति पिछड़ा वर्ग के कक्षा 11 वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर तथा तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर प्रदान की जाती है।

(3) राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र: (पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण) भोपाल :

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिभावान किन्तु साधनविहीन युवक–युवतियों को लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा/कर्मचारी चयन आयोग/प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड/रेल्वे/बीमा क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रशिक्षण इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से चयनित प्रशिक्षणार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, दिया जाता है।

(4) छात्रगृह योजना: – ऐसे विद्यार्थी, जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति एवं विभागीय छात्रावासों में प्रवेश की पात्रता रखते हों के लिए किराए के भवन में रहने पर भवन किराये की प्रतिपूर्ति निर्धारित दर से शासन द्वारा की जाती है।

(5) स्वर्गीय रामजी महाजन स्मृति पुरस्कार :–

पिछड़े वर्ग के उत्थान एवं विकास के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले पिछड़े वर्ग के 16 समाजसेवियो को सम्मानित किया जाता है जिसमें 8 महिला एवं 8 पुरूष सम्मिलित होते है।

(7) राज्य एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता पर प्रोत्साहन:–

इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा संघ लोक सेवा आयोग अथवा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के विभिन्न चरणों में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जाती है।

(8) विदेश अध्ययन छात्रवृत्तिः–

चयनित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नात्तकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों/शोध उपाधि (Ph.D) एवं शोध उपाधि उपरांत (Post doctoral Studies) कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वर्ष 2018–19 से पिछड़ा वर्ग के 50 विद्यार्थियों को लाभांवित किया जाता है।

(9) बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगार प्रशिक्षण :–

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के पिछड़े वर्ग के युवक–युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(10) प्रावीण्य छात्रवृत्तिः–

पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना नियम 2010 लागू किये गए हैं जिसमें जिला स्तर पर इस वर्ग के मेधावी छात्र/छात्राओं को पुरस्कृत किया जाता हैं।

(11) मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग व्यवसायिक प्रतिभा परीक्षा पुरस्कार योजनाः–

व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की गई पीईटी/पीपीटी एवं एमसीए की प्रवेश पूर्व परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले पीईटी/पीपीटी एवं एमसीए छात्र–छत्राओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया जाता है।

(12) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावासः–

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में 100 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्टमैट्रिक बालक छात्रावास भवनों की स्थापना की गई है।

(13) जिला स्तरीय पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास :–

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत प्रदेश के 51 जिलों में पिछड़े वर्ग की अध्ययनरत् कन्याओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 सीटर पोस्टमैट्रिक कन्या छात्रावासों की स्थापना की गई है।

अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएँ :–

भारत सरकार अल्पसख्यक कार्य मंत्रालय के माध्यम से संचालित योजनाये :–

(1) मेरिट कम मीन्स योजना :–

भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के निर्धन एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मेरिट कम मीन्स योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

(2) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना :–

अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी) के प्रतिभावान विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

(3) <u>प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति :–</u>

भारत सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन परिवारों के कक्षा पहली से 10 वीं तक अध्ययनरत प्रति परिवार के अधिकतम दो बच्चों को शैक्षणिक उत्थान हेतु आर्थिक सहायता के रूप में विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक आय की मेरिट के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए निर्धारित कोटे के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(4) **भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम योजनाः–**

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा देश में ऐसे जिलो का चिन्हांकन किया गया है जिनमें अल्पसंख्यक वर्ग की जनसंख्या 25 प्रतिशत अथवा 5 लाख से अधिक हो। इस आधार पर मध्यप्रदेश में भोपाल जिले का चयन अल्पसंख्यक बाहुल्य जिले के रूप में किया गया है एवं भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों हेतु राशि स्वीकृत की जाती है।

(5) **मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार योजना :–**

अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं कल्याण के क्षेत्र में संलग्न सामाजिक संस्थाऐं एवं व्यक्तियों को उनकी उत्कृष्ट सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवाओं और योगदान को प्रोत्साहित करने के उद्धेश्य से राज्य शासन द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के 03 व्यक्तियों को मध्यप्रदेश अल्पसंख्यक सेवा राज्य पुरस्कार दिया जाता है।

(6) **अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक–युवतियों को रोजगारा प्रशिक्षण योजनाः–**

योजना अंतर्गत शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं निजी स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवक–युवतियों को प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा निम्न संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है।

(7) मध्यप्रदेश वक्फ बोर्डः–
(8) <u>मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी</u>
(9) मसाजिद कमेटी
(10) चर्च एवं दरगाह इत्यादि को सहायक अनुदान

उप संचालक (वित्त)
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
मध्यप्रदेश

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक
कल्याण विभाग
मंत्रालय भोपाल